उदयसिंह / मनोज

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
23.6.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट की बहस सुनी। वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आदेश 17 नियम 3 cpc में गलत तौर पर हमारा वाद खारिज कर दिया। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि ज्यादातर तारीख पेशियों पर पीठासीन अधिकारी जी राजकीय कार्य में व्यस्त रहे हैं तथा कुछ समय वादी अपीलांट बीमार रहे हैं। इन कारणों से साक्ष्य पेश नहीं की जा सकी थी। तहत अदालत का यह कानूनी कर्तव्य था कि वो साक्ष्य पेश करने हेतु एक ओर अवसर प्रदान करते। साक्ष्य अभाव में हमारा वाद खारिज होने से हमारे वाद के गुणावगुण का बिन्दु गौण हो जायेगा। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण का गुणावगुण करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा ~~उ~~ वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया। तहत अदालत की आदेशिकाओं के अवलोकन से सिद्ध है कि वादी अपीलांट को	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके दिये गये थे और दि0 11.2.2021 को साक्ष्य अभाव के कारण आदेश 17 नियम 3 CPC में वाद पत्र खारिज किया गया था। इस संबंध में हमारी सुविचारित राय है कि तहत न्यायालय द्वारा वाद पत्र खारिज करने से पूर्व वादी को इस आशय का निर्देश दिया जाना चाहिये था कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य पेश करे, अन्यथा आदेश 17 नियम 3 CPC में वाद पत्र खारिज कर दिया जावेगा। तहत अदालत ने उपरोक्तानुसार वादी को हिदायत नहीं दी। साक्ष्य के अभाव में वाद पत्र खारिज होने से वाद पत्र के गुणावगुण के बिन्दु गौण हो जायेंगे, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तथा वकील अपीलांट के तर्कों पर विश्वास करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु प्रकरण रिमांड किये जाने योग्य है। अत: आदेश है कि अपील

— लगातार

उदय सिंह | मनोज

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.2.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण 5000/- की कॉस्ट पर तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो वाद पत्र में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करें। अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई एवं साक्ष्य दिनांक 23.7.2021 को तहत अदालत में उपस्थित हो। साथ ही अपीलांट को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वो 5000/- की कॉस्ट तहत अदालत में अदा करें। निर्णय की प्रति अदालत तहत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	